राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर–302005)

क्रमांकः–एफ.1(3)( )295/स्था/सान्याअवि/20/ 3086 जयपुर, दिनांकः– 30-6-20

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 16.06.2020 एवं पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2020 जयपुर दिनांक 18.06.2020 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, वर्ष 2013 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप क्रम संख्या 6 से 14 तक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक–अप किये गये चयनित अभ्यर्थियों को एवं क्रम संख्या 1 से 5 तक लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को विभाग आबंटन करने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/–प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अघोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा निम्न कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है :–

SNO	RANK	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	CAT	Sel_Cat	Alloted office & District
1	936	181905	UMESH KUMAR SHARMA	MOHAN LAL SHARMA	03-Jul-88	GE	GEN	RREIS School Yusufpura (Girls) Tonk
2	1036	114905	JOGA RAM	CHENA RAM	01-Jul-91	BC	GEN	Office DPSWO SJED, Barmer
3	1236	889299	SATYAPRAKASH CHOUDHARY	RAMLAL CHOUDHARY	27 Dec 93	BC	OBC	RREIS School Amarpur (Girls) Dausa
4	1241	176634	ASHOK CHOUDHARY	RAM LAL CHOUDHARY	06-Jul-92	BC	OBC	Office Supdt. Nari Niketan, Kota
5	1275	452763	BHAGIRATH CHARAN	SHUBH KARAN DAN	02-Feb-91	BC	OBC	Office Dy Dir. SJED Jodhpur
6	18166	1740587	MAHESH KUMAR CHOUHAN	DEVA RAM	15-Jan-87	SC	O_SC	Office DPSWO SJED, Barmer
7	18299	1908984	NIRAJ KHINCHI	RATAN LAL KHINCHI	17-May-93	SC	O_SC	RREIS School Mandore (Boys) Jodhpur
8	18465	2179897	VIKAS PALIWAL	NAND KISHOR PALIWAL	25-Jun-95	SC	O_SC	RREIS School Bagri (Boys) Dausa
9	18572	1575051	JITENDRA KUMAR	SHARWAN KUMAR	03-Aug-2000	SC	O_SC	Office Supdt. Observation Home, Churu
10	18596	1371694	AMAR CHAND KULDEEP	RAMESH CHAND KULDEEP	05-Feb-90	SC	O_SC	Office Asst. Dir, ICPS Alwar
11	18648	1913042	NARENDRA KUMAR	RIDMAL RAM	12-Mar-2000	SC	O_SC	Office Asst. Dir, ICPS Barmer
12	18683	2160507	VIJENDRA KUMAR NOGIYA	PRABHU DAYAL NOGIYA	01-Apr-93	SC	O_SC	RREIS School Chhan (Girls) Sawai Madhopur
13	18740	1375830	AKASH KUMAR	SHANKAR LAL	15-Apr-94	SC	O_SC	Office DPSWO SJED, Dholpur
14	18752	2233382	SANJAY SINGH	SOVERAN SINGH	01-Jul-93	SC	O_SC	RREIS School Devlane (Girls) Karauli

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनां 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी / डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशो/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
6. उरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में विभाग हेतु योग्यता क्रम में ही रहेगी।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगें।

8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होगें।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत–भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

12. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटेस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त(नियम)विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6))एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1))एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महगांई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें।

14. क्रम संख्या 11 से 15 तक के अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में अधीनस्थ कार्यालय हेतु कार्यग्रहण नहीं करने वाले एनजेआर अभ्यर्थियों के विरूद्ध आरक्षित सूची मे से पिक–अप किये जाने के संबंध में एसबीसीडब्ल्यूपी 24225/2018 रामेश्वर प्रसाद बनाम राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 के परिप्रेक्ष्य में एवं राज्य सरकार के निर्णय की अनुपालना में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण उत्पन्न 333 रिक्तियों के विरूद्ध आयोग द्वारा 317 अभ्यर्थियों को पिक–अप किया गया है।

15. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

17. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

18. उक्त अभ्यर्थियों ने पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नही करने पर नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अभ्यर्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें। जिसकी प्रति कार्यालयाध्यक्ष निदेशालय में भी भिजवायेगें।

19. **उपरोक्त अभ्यर्थी संबंधित जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें, जिन्हें जिला अधिकारी अपने अधीन ब्लॉक कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवायेगें।**

उक्त अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु लेकर अपनी कार्य ग्रहण हेतु उपस्थिति के समय उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापन ब्लॉक के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

30/6/20
निदेशक

क्रमांक : एफ.1(3)( )295/स्था/सान्याअवि/20/ 3087-157 जयपुर, दिनांकः– 30-6-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 जयपुर दिनांक 16.06.2020 एवं पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु–3/2020 जयपुर दिनांक 18.06.2020 के क्रम में।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक,(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
8. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,............ .... को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जॉच कर कार्यभार ग्रहण करायें एवं इनकी कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायेगें।
9. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, ...।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय बेबसाईड पर अपलोड करने एवं समस्त जिला अधिकारियों को ई–मेल करने हेतु।
11. प्रभारी, डी.पी.सी./ए.सी.आर. प्रशाखा, मुख्यावास।
12. उक्त समस्त अभ्यार्थियों को भेजकर लेख है, कि आप द्वारा दी गई सूचनायें यदि गलत पाई जाती है, तो नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
13. श्री/श्रीमती/सुश्री...।
14. व्यक्तिगत पत्रावली श्री ....।
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

30/6/20
अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)
एवं संयुक्त शासन सचिव